



प्रेस नोट-जनपद बिजनौर

दिनांक 10.03.2026

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 70,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।**

**कार्यवाही:-**

दिनांक 25.02.2024 को वादिनी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमर सिंह पुत्र रामेश सिंह, 2.नरपाल पुत्र रामेश सिंह, 3.देवेन्द्र पुत्र कोमल, 4.कामेन्द्र पुत्र ओमपाल समस्त निवासीगण ग्राम अजुपुरारानी उर्फ नयागांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पिता व पति पर लाठो-डंडो व लोहे की सब्बल से वार किया गया, जिससे वादिनी के पिता की मौके पर मृत्यु हो गई तथा पति गंभीर रूप से घायल हो गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 56/2024 धारा 302/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 10.03.2026 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 56/2024 धारा 302/307/34 भादवि से संबंधित 1.अमर सिंह पुत्र रामेश सिंह, 2.नरपाल पुत्र रामेश सिंह निवासीगण ग्राम अजुपुरारानी उर्फ नयागांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 70,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

**दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –**

- 1.अमर सिंह पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम अजुपुरारानी उर्फ नयागांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.नरपाल पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम अजुपुरारानी उर्फ नयागांव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना रेहड़

दिनांक- 10.03.2026

**थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी ग्राम जाफराबाद थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अरुण कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी ग्राम जाफराबाद थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी का विवरण:-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ।
2. है0का0 408 मनीष कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 10.03.2026

**थाना स्योहारा पुलिस ने 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त डा0 परवेज मलिक पुत्र मौ0 आकिल निवासी मोहल्ला काँठ रोड कस्बा व थाना छजलेट जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध पिस्टल मय मैगजीन 7.65 एमएस व 01 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 72/26 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

डा0 परवेज मलिक पुत्र मौ0 आकिल निवासी मोहल्ला काँठ रोड कस्बा व थाना छजलेट जनपद मुरादाबाद

### बरामदगी विवरण:-

01 अवैध पिस्टल मय मैगजीन 7.65 एमएस व 01 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5.का0 1650 अमजद खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 6.का0 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर